यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी के माह 06/2015 से 12/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 06.01.2018 से 10.01.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, उदयवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री अशोक कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 25.06.2015 से 29.06.2015 तक श्री प्रेमचन्द्र, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 05/2012 से 05/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 12/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक सेवा प्रदान करना, रोगियों को निःशुल्क उपचार करना, औषधि क्रय एवं निःशुल्क वितरण इत्यादि करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	57.55	49.22	228.30	201.75	–	8.33	–	26.55
2016–17	–	–	59.36	52.25	235.14	211.61	–	7.11	–	23.53
2017–18 (12/2017)	–	–	–	236.07	–	223.93	–	–	–	12.14

नोटः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि समर्पण की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	एन0एच0एम0	8.12	22.30	25.37		5.05
2016–17		5.05	35.17	21.92		18.30
2017–18 (12/2017)		18.30	0.35	5.24		13.41

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार मद में महानिदेशालय स्तर से तथा एन0एच0एम0 बजट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''सी'' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

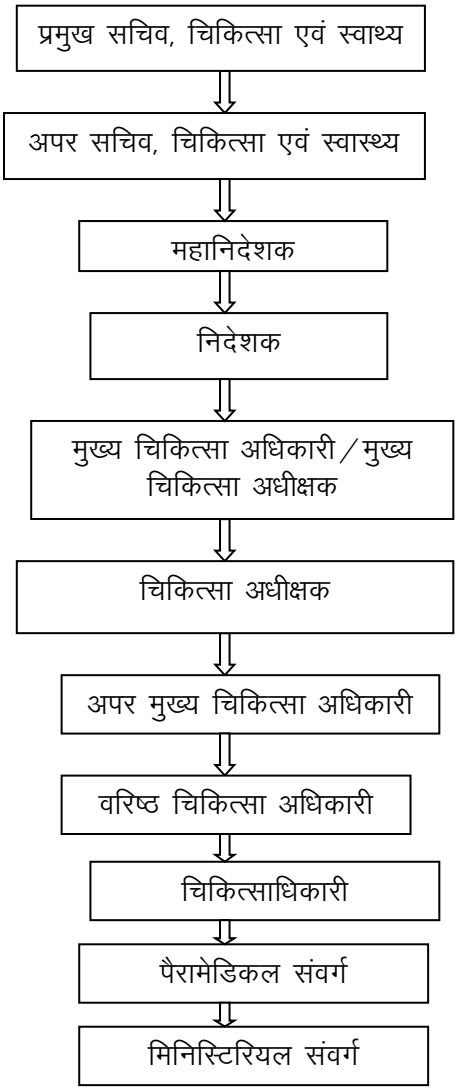

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं मार्च 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 13.05 लाख का अनियमित व्यय।

राष्ट्रीय कार्यक्रम **जननी सुरक्षा योजना** अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं (iv) प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा।

कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)**के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 (11/2017) तक कुल 783 लाभार्थियों एवं 255 आशाओं (वर्ष 2015-16 : 72, 2016-17 : 83, 2017-18 (11/2017) :100) को क्रमशः रु0 10.49 लाख एवं रु0 2.56 लाख[1] का भुगतान किया गया। लाभार्थियों को किए गये कुल भुगतान रु0 10.49 लाख अनियमित था क्योंकि प्रसव के पश्चात् लाभार्थी स्वास्थ्य केन्द्र में न्यूनतम निर्धारित 48 घण्टे रुके ही नहीं। आगे, अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि लाभार्थियों एवं आशाओं को किया गया रु0 13.05 लाख (महिला लाभार्थी : रु0 10.49 लाख एवं आशा : रु0 2.56 लाख) का भुगतान जे0एस0वाई0 योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत किया गया था, जिसके उदाहरण निम्नवत् हैः–

1. जनपद में गर्भवती महिलाओं के प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड तैयार ही नहीं किए गये थे।
2. संस्थागत प्रसव कराने वाली 783 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि रु0 10.49 लाख बिना न्यूनतम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुके प्रदान किया गया था।

[1] वर्ष 2015–16 : रु0 121800, वर्ष 2016–17 : रु0 102200 एवं वर्ष 2017–18 : रु0 32400

3. समस्त प्रकरणों में आशाओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि रु0 2.56 लाख एक ही किश्त में भुगतान किया गया था, जबकि आशाओं को प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जानी चाहिए थी।

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 13.05 लाख का अनियमित व्यय भुगतान किया गया। वर्ष 2015–16 से 2017–18 (11/2017) तक हुए संस्थागत प्रसवों एवं प्रोत्साहन राशि वितरण का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	**क्षेत्र**	**कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या**	**48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या**	**48 घण्टे से कम स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या (Col.3–4)**	**भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या**	**प्रदत्त राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)**	**देय राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)**	**आधिक्य भुगतान (Col.7 – Col.8)**	'आशाओं की संख्या	आशाओं को भुगतान (रु(.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
2015–16	ग्रामीण	272	0	272	272	380800	0	380800	72	121800
	शहरी	47	0	47	47	47000	0	47000	0	0
2016–17	ग्रामीण	264	0	264	264	369600	0	369600	83	102200
	शहरी	52	0	52	52	52000	0	52000	0	0
2017–18 (11/2017)	ग्रामीण	130	0	130	130	182000	0	182000	100	32400
	शहरी	18	0	18	18	18000	0	18000	0	0
योगः–	**ग्रामीण**	**666**	**0**	**666**	**666**	**932400**	**0**	**932400**	**255**	**256400**
	शहरी	**117**	**0**	**117**	**117**	**117000**	**0**	**117000**		
महायोगः		**783**	**0**	**783**	**783**	**1049400**	**0**	**1049400**	**255**	**256400**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण, परिवार कल्याण इत्यादि में **व्यस्तता** के कारण जे0एस0वाई0 कार्ड पूर्व में नहीं भरे गये। भविष्य में दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थी को भुगतान किया जाना चाहिए था, जबकि स्वास्थ्य केन्द्र में इन दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनियमित रुप से लाभार्थियों को भुगतान किया जा रहा था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 13.05 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण **उच्चाधिकारियों** के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर 02: त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु. 3.6 लाख का अधिक भुगतान

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुयी हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार विशेष कार्य अधिकारी (फार्मेसी) का वेतनमान रु0 15600–39100, ग्रेड वेतन रु0 5400 से उच्चीकृत कर वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड वेतन रु0 6600 संशोधित/ उच्चीकृत किया गया था।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि चार चीफ **फार्मासिस्ट** को वेतन बैण्ड 9300–34800 के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4200 के स्थान पर उच्चीकृत करते हुए रु0 4600 दिया गया जबकि उक्त शासनादेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी वेतन बैण्ड 9300–34800 के मध्य रहता है तो उसे केवल ग्रेड वेतन का लाभ दिया जाना था। स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा उक्त कार्मिकों को रु0 11720 + रु0 4200 से उच्चीकृत करते हुए रु0 12540 + रु0 4600 का वेतन निर्धारण किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण था। परिणामस्वरुप रु0 2.68 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त जॉच में पाया गया कि श्री विनोद सिंह नेगी, **फार्मासिस्ट** को वेतन रु0 17120 + रु0 6600 को उच्चीकृत करते हुए रु0 18750 + रु0 6600 किया गया जो कि त्रृटिपूर्ण था क्योंकि शासनादेश के निर्देशानुसार पत्रांक 41 दिनॉक फरवरी 2009 उन कार्मिकों पर लागू होता है जिनकी नियुक्ति दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुयी हो। इस प्रकार, दोनों प्रकरणों में कुल रु0 3.67 लाख (रु0 2.68 लाख एवं रु0 0.99 लाख) का अधिक भुगतान किया गया। विवरण संलग्न है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि वेतन निर्धारण शासनादेश के अनुरूप किया गया, फिर भी प्रकरण मे उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर वेतन निर्धारण की पुनः समीक्षा की जाएगी तथा यदि त्रुटिपूर्ण पाया गया तो वसूली की कार्यवाही भी की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के पत्रांक 41, फरवरी 2009 के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया जो कि सीधी भर्ती पर लागू होता है लेकिन पे-बैन्ड-2 (9300-34800) है तो केवल ग्रेड-पे का लाभ दिया जाएगा, न कि वेतन बैन्ड मे वेतन का।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु. 3.67 लाख अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो -ब

प्रस्तर:3 रु. 2.13 लाख का संकलित ब्याज नियमानुसार राजकोष मे नहीं जमा कराया जाना।

उत्तराखंड सरकार का शासनादेश संख्या-99/xxvii(14)/2009 दिनांक 03 सितंबर 2009 आदेशित करता है कि समेकित निधि से आहरित धनराशि पर अर्जित ब्याजराशि को राजकोष मे लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ के अंतर्गत जमा किया जाय।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) के चिकित्सा प्रबंधन समिति की रोकड़-बही एवं संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक बचत खाते मे रु. 2.13 लाख का एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के खातों मे रु. 5.20 का ब्याज संकलित हुआ था। इस प्रकार रु. 2.13 लाख का संकलित ब्याज नियमानुसार राजकोष मे जमा करा दिया जाना चाहिए था, परंतु यह ब्याज राशि कार्यालय के खातों मे अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। इस ब्याज राशि का उपयोग अन्य जनहित के कार्यों मे किया जा सकता था।

इसके संबंध मे पुछे जाने पर इकाई अपने उत्तर मे बतलाया कि रु. 2.13 लाख की धनराशि शीघ्र ही राजकोष मे जमा करा दी जाएगी।

अतः रु. 2.13 लाख की धनराशि को राजकोष मे जमा नहीं कराये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- ई -भुगतान के धनराशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में न किये जाने के संबंध मे ।

शासन के पत्रांक सं□- 3/ □□□□□(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे □ इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में □□□ द्वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) की स्थापना ब्यय की रोकड़बही की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि चयनित माह मार्च 2016 मे रु. 36.77 लाख एवं मार्च 2017 मे रु. 37.17 लाख की धनराशि का सकल ब्यय ट्रेजरी के माध्यम से किया गया था। ट्रेजरी के माध्यम से ब्ययित एवं Form BM- 5 (सीटीआर) मे अंकित कुल रू 73.94 लाख की सकल धनराशि को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था।

इस संबंध मे इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि नियमों का ज्ञान नहीं होने के कारण ऑनलाइन भुगतान की धनराशि का अंकन रोकड़ बही मे नहीं किया गया था।

अतः ऑनलाइन भुगतान की धनराशि का अंकन रोकड़ बही मे नहीं किया जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई द्वारा विगत लंबित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे ही महालेखाकार कार्यालय को भेज दी गई है		

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 जितेन्द्र सिंह भण्डारी	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	6/2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र